

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड—(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 456] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 1970/पौष 3, 1892

No. 456] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1970/PAUSA 3, 1892

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 1970

S.O. 4090.—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 2873-B/IDRA/70, dated the 6th August, 1970, namely:—

In the said notification, in paragraph 1, for the words "two years", the words "five years" shall be substituted.

[No. F. 9(1)Lic.Pol./68.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1970

का० आ० 4090.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के

(1977)

भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की तारीख 6 अगस्त, 1970 की अधिसूचना 'सं० का० आ० 2673-बी/18ए/आई० डी० आर० ए०/70 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की कंडिका 1 में 'दो वर्ष' इन शब्दों के स्थान पर 'पाँच वर्ष' इन शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० का० 9 (1) आई० पालि० /68.]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव ।